| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व अहकाम, हुक्म की में जारी |
|---|---|---|
| | 10/11/25<br>बार संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दिनाक 18/12/25 को पेश हो।<br>(5) | |
| 18/12/2025 | वकील पक्षकारान हाजिर। श्रीमान एसडीएम साहब अवकाश/चुनाव/अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त हैं, पत्रावली दिनांक 27/01/2026 को पेश हो। | |
| | 27/1/26<br>बार संघ का कार्य स्थगित है। पत्रावली पूर्व आदेश अनुसार दिनाक 26/1/26 को पेश हो।<br>(6) | |
| | 26/2/26 पत्रावली पेशी में लगी। अभिभाषक हाजिर। वास्ते अधिवक्ता ज्ञापन पत्र मुन्नी 18 सहित के प्रार्थना पत्र आ०पत्र 02 सहित के लगाए किया जाता है। आवेदिका एवं अनावेदिका के मध्य विवादित भूमि के सीमा निर्धारण का प्रकरण विचाराधीन है। इसलिए आ०पत्र के फूलवाड़ के वादी एवं प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर एवं मौजा किताबी एवं कब्जा कास्त के आधार पर निर्णय किया जाता है। पाड़ व हेरा किताब के बिना आ०पत्र पर निर्णय करने पर वाद पत्र के निस्तारण नहीं होने तक वाद-विवाद बढ़ेगा। इसलिए आ०पत्र 212 RTM के वाद पत्र 1 एम.के.बी. के पै.नं. 122/291 मु.नं. 15 के 0.427 हे. एवं पै.नं. 122/291 के मु.नं. 42 की 1.304 हे. कुल 1.731 हे. नक्शी सिकड़ी भूमि के विरुद्ध 131 एवं 84 के जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली निर्णय हेतु सम्मुख कम होने पर वाद के साथ संलग्न है।<br>निर्णय आ०पत्र के मुताबिक<br>उपखण्ड अधिकारी<br>रायसिंहनगर | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2026.04.09 16:38:22 IST
Reason: SelfAttested